संख्या–239 / 15–11–2018–2067 / 2013

प्रेषक,

मनीषा त्रिघाटिया,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण
परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।

2. सचिव,
परीक्षा नियामक प्राधिकारी,
उ0प्र0, इलाहाबाद।

शिक्षा अनुभाग–11

लखनऊः दिनांकः 09 मई, 2018

विषयः– डी0एल0एड0 (बी0टी0सी0) प्रशिक्षण, 2018 के प्रवेश / चयन प्रक्रिया हेतु समय–सारिणी एवं शासनादेश में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–गोप0 / डी0एल0एड0–18 / 2885–88 / 2018–19 दिनांक 04.05.2018 तदकम में पत्र संख्या–गोप0 / डी0एल0एड0–18 / 2893–96 / 2018–19 दिनांक 07.05.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा डी0एल0एड0 प्रशिक्षण–2018 के प्रवेश / चयन प्रक्रिया हेतु समय सारणी एवं शासनादेश में संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या–804 / 15–11–2017–2067 / 2013 दिनांक 05.06.2017 एवं शासनादेश संख्या–1571 / 15–11–2017–2067 / 2013 दिनांक 28.07.2017 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त संदर्भित शासनादेश संख्या– 804 / 15–11–2017–2067 / 2013 दिनांक 05.06.2017 के प्रस्तर 4(i), 5(ix), 6(VIII) तथा 7(ii), (iii), (iv) को निम्नवत संशोधित किया जाता हैः–

| वर्तमान प्राविधान | संशोधित प्राविधान |
|---|---|
| 4– आवेदन हेतु पात्रता–<br>(i) शैक्षिक अर्हता – डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2016 व आगामी प्रशिक्षण में चयन हेतु ऐसे अभ्यर्थी ऑन–लाइन आवेदन करने के पात्र होंगे, जो उत्तर प्रदेश के निवासी हों तथा जिन्होंने आवेदन पत्र भरने के पूर्व माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद एवं CBSE (सी.बी.एस.ई.) से मान्यता प्राप्त संस्थानों से हाईस्कूल व उसके समकक्ष तथा इन्टरमीडिएट व उसके समकक्ष घोषित परीक्षा एवं विधि द्वारा स्थापित एवं यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। अनुसूचित जाति / अनुसूचित | 4– आवेदन हेतु पात्रता–<br>(i) शैक्षिक अर्हता– डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2016 व आगामी प्रशिक्षण में चयन हेतु ऐसे अभ्यर्थी ऑन–लाइन आवेदन करने के पात्र होंगे, जो उत्तर प्रदेश के निवासी हों तथा जिन्होंने आवेदन पत्र भरने के पूर्व माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद एवं CBSE(सी.बी.एस.ई.) से मान्यता प्राप्त संस्थानों से हाईस्कूल व उसके समकक्ष तथा इन्टरमीडिएट व उसके समकक्ष घोषित परीक्षा एवं विधि द्वारा स्थापित एवं यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / विकलांग / स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित / भूतपूर्व सैनिक (स्वयं) के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों में 05 प्रतिशत की छूट होगी। |

| | |
|---|---|
| जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ विकलांग/ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/ भूतपूर्व सैनिक (स्वयं) के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों में 05 प्रतिशत की छूट होगी।<br>माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा एवं COBSE (कोबसे) द्वारा अमान्य तथा यू0जी0सी0 द्वारा फर्जी तथा अमान्य घोषित की गयी संस्थाओं/ विश्वविद्यालयों से किसी भी स्तर (हाईस्कूल, इन्टर तथा स्नातक) की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी आवेदन हेतु अर्ह नहीं माने जायेंगे। प्रदेश में 10+2+3 शिक्षा प्रणाली प्रचलित है। एकरूपता की दृष्टि से एक वर्षीय एवं द्विवर्षीय स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन के पात्र नहीं होंगे। | माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा एवं COBSE (कोबसे) द्वारा अमान्य तथा यू0जी0सी0 द्वारा फर्जी तथा अमान्य घोषित की गयी संस्थाओं/ विश्वविद्यालयों से किसी भी स्तर (हाईस्कूल, इण्टर तथा स्नातक) की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी आवेदन हेतु अर्ह नहीं माने जायेंगे। प्रदेश में 10+2+3 शिक्षा प्रणाली प्रचलित है। एकरूपता की दृष्टि से एक वर्षीय एवं द्विवर्षीय स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन के पात्र नहीं होंगे<br>शासनादेश सं0– 7/2016 /720 /15–7–2016 शिक्षा अनुभाग– 7, दिनांक 20.05. 2016 द्वारा इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अधीन निर्मित परिषद, विनियमों के अध्याय बारह (परीक्षा संबंधी समान्य विनियम) के विनियम–17(7) में संशोधन करते हुए प्राविधिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 द्वारा संचालित तीन वर्षीय डिप्लोमा परीक्षा को माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्षता प्रदान की गयी है। अतः प्राविधिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 द्वारा संचालित तीन वर्षीय डिप्लोमाधारी इण्टरमीडिएट के समकक्ष माने जायेंगे। |
| 5. (ix) यदि अभ्यर्थी के आवेदन पत्र में कोई त्रुटि हो जाती है तो अभ्यर्थी द्वारा 'Lock/Submit' करने के उपरान्त अपने भरे गये आवेदन पत्र की त्रुटि में संशोधन/निराकरण करने हेतु निम्नलिखित दो उपाय है–<br>(क) यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑन–लाइन आवेदन 'Lock/Submit' करने के उपरान्त अपने भरे गये आवेदन पत्र में किसी त्रुटि को संशोधित करना चाहता है तो उसे ऑन–लाइन आवेदन करने की निर्धारित अंन्तिम तिथि से पूर्व पुनः पंजीकरण कराकर पुनः फीस जमा करने के उपरान्त नया आवेदन फार्म भरना होगा, क्योंकि अभ्यर्थी द्वारा जिस नाम से बैंक में शुल्क जमा किया गया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा भरे गये पूर्व के आवेदन पत्र को निरस्त करते हुए केवल अंतिम आवेदन पत्र को ही मान्य किया जायेगा।<br>(ख) ऑन–लाइन आवेदन पत्र भरने की निर्धारित तिथि के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के कतिपय विशिष्टियों में निर्धारित तिथि के अन्दर संशोधन किया जा सकता है परन्तु किसी भी स्थिति में | 5. (ix) अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन में अंकित प्रविष्टियों में संशोधन का कोई अवसर देय नहीं होगा। इसके लिए अनिवार्य है कि अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन को फाइनल सेव करने से पूर्व उसका प्रिंट लेकर, ऑनलाइन अंकित प्रविष्टियों का अभिलेखों से मिलान अवश्य कर ले। अभ्यर्थियों से रजिस्ट्रेशन को फाइनल सेव करने से पूर्व इस आशय के घोषणा पत्र को चयन करना अनिवार्य होगा कि – मैंने ऑनलाइन आवेदन के अंतर्गत किये गये रजिस्ट्रेशन का प्रिंट निकाल कर उसमें की गयी प्रविष्टियों का मिलान मूल अभिलेखों से कर लिया है एवं उसे सही पाया है तथा मै अपने रजिस्ट्रेशन को फाइनल सेव करने हेतु पूर्णतः सहमत हूँ, फाइनल सेव होने के उपरान्त मुझे अपने आवेदन में संशोधन करने का कोई अवसर देय नहीं होगा।<br>उक्त घोषणा पत्र को चयन करने के उपरान्त अभ्यर्थी के मोबाइल पर भेजे गये OTP को Verify करके अभ्यर्थी को अपना आवेदन पूर्ण करना होगा इसके लिए अनिवार्य है कि अभ्यर्थी आवेदन के समय अपने सही मोबाइल नम्बर का अंकन करें। |

| | |
|---|---|
| अभ्यर्थी के आवेदित जनपद, नाम तथा विशेष आरक्षण की श्रेणी से सामान्य/सामान्य श्रेणी से विकलांगता की श्रेणी में संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा।<br>आवेदक विकलांग श्रेणी में संशोधन सिर्फ विकलांग श्रेणी की एक उप–श्रेणी से दूसरी उप–श्रेणी में ही कर सकता है। आवेदन शुल्क की समानता के कारण आवेदक मात्र सामान्य वर्ग से अन्य पिछड़ा वर्ग के परस्पर तथा अनुसूचित जाति से अनुसूचित जन जाति के परस्पर ही संशोधन कर सकता है। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में किन–किन विशिष्टियों में संशोधन किया जा सकता है, इसके सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश, सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा निर्दिष्ट वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा। | |
| 6. (viii) प्रवेश हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगी –<br>(a) आवेदन पत्रों में की गयी प्रविष्टियों के आधार पर अवरोही क्रम में मेरिट लिस्ट तैयार की जायेगी।<br>(b) मेरिट लिस्ट में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों की रैंक निर्धारित की जायेगी, जो चयन का आधार होगा।<br>(c) निर्धारित रैंक के अभ्यर्थी निर्धारित अवधि में अपनी पसन्द की सीट का विकल्प ऑन–लाइन पूरित करेंगे। इस अवधि के बाद एन0आई0सी0 द्वारा सीट आवंटन हेतु प्रॉसेसिंग की जायेगी।<br>(d) इस प्रक्रिया के बाद बची सीटों पर द्वितीय राउण्ड में वर्ग/श्रेणी में अवशेष सीटों के सापेक्ष ही चयन का अवसर दिया जायेगा। यदि प्रथम राउण्ड में चयनित/मेरिट का अभ्यर्थी अपनी गलती/शिथिलता के कारण सीट का विकल्प नहीं दे पाया, तो वह भी द्वितीय राउण्ड में वर्ग/श्रेणी में अवशेष सीटों के सापेक्ष चयन हेतु विचारित होगा।<br>(e) अभ्यर्थियों द्वारा भरे गये विकल्पों के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया से जो | 6. (viii) प्रवेश हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगी –<br>(a) आवेदन पत्रों में की गयी प्रविष्टियों के आधार पर अवरोही क्रम में मेरिट लिस्ट एन0आई0सी0 लखनऊ द्वारा तैयार की जायेगी।<br>(b) मेरिट लिस्ट में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों की एन0आई0सी0 लखनऊ द्वारा स्टेट रैंक निर्धारित की जायेगी, जो चयन का आधार होगा।<br>(c) निर्धारित स्टेट रैंक के अभ्यर्थी निर्धारित अवधि में प्रशिक्षण हेतु अपनी पसन्द (Choice) के प्रशिक्षण संस्थानों का विकल्प ऑन लाइन पूरित करेंगे। प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने के उपरान्त अभ्यर्थियों के शैक्षिक गुणांक की मेरिट/स्टेट रैंक एवं अभ्यर्थियों द्वारा भरे गये प्रशिक्षण संस्थान की विकल्प के वरीयता क्रम में एन0आई0सी0 लखनऊ द्वारा सीट आवंटन हेतु प्रॉसेसिंग की जायेगी।<br>(d) अभ्यर्थी स्वयं अपने स्तर से निर्धारित वेबसाइट के माध्यम से संस्थान का विकल्प ऑनलाइन चयन (च्वाइस फिलिंग/च्वाइस लॉक) करेंगे। अभ्यर्थी के विकल्प चुनने की संख्या पर कोई बाध्यता नहीं है, वह एक बार में ही उपलब्ध समस्त संस्थानों का विकल्प वरीयता क्रम में चुन सकता है, जिससे उसकी मेरिट के सापेक्ष चुने हुये विकल्पों में से किसी एक प्रशिक्षण संस्थान का आवंटन किया जा सके।<br>(e) अभ्यर्थी की मेरिट के अनुसार प्रशिक्षण हेतु आवंटित संस्था में अभिलेखीय जॉच/प्रवेश की |

so gio